र व तारीख
ाम जो हुक्म
ल में जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

[illegible]शल संख्याः– 130/2016

निर्णय दिनांक :–03.09.19

उनवानी दावा :

रामनारायण पुत्र आनन्दा जाति खटीक निवासी घाड, तहसील दूनी, जिला–टोंक

– वादी –

बनाम

1.प्रभू पुत्र आनन्दा जाति खटीक निवासी घाड, तहसील दूनी, जिला–टोंक
2.बद्री पुत्र आनन्दा जाति खटीक निवासी घाड, तहसील दूनी, जिला–टोंक
3.घीस्या पुत्र आनन्दा जाति खटीक निवासी घाड, तहसील दूनी, जिला–टोंक
4.तहसीलदार जी दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

–उपस्थिति –

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता दादी

इकबालिया जवाब
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

दावा घोषणा खातेदारी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता आनन्दा पुत्र गोपी खटीक निवासी घाड की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक ख0नं0 1525/3 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 1526/1 रकबा 2 बीघा 19 बीसवा, ख0नं0 1341 रकबा 9 बीघा 8 बीस्वा वाके ग्राम घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है जिनके सेटलमेंट के दौरान नये ख0नं0 1926 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1927 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1928 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2293 रकबा 1.71 है0 कुल किता 4, कुल रकबा 2.29 है0 बनाये गये है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता आनन्दा की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 की माता भूरी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता आनन्दा की मृत्यु होने के बाद उक्त वर्णित आराजीयात को सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण 1 ता 3 एवं उनकी माता भूरी के नाम खोल दिया गया जबकि आनन्दा की मृत्यु के बाद नामान्तकरण खोलते समय प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी का नाम भी आनन्दा का पुत्र होने के कारण अंकित होना चाहिये था। अभी हाल ही में ग्राम घाड की ढाणी दौलतपुरा राजस्व विपेज बन जाने के कारण उक्त वर्णित आराजीयात के नये ख0नं0 1417 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1418 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1419 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1810 रकबा 1.71 है0 बनाये गये है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है और उपरोक्त हिस्से अनुसार ही

मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर रहे है तथा काबिज है। वादी का नाम उक्त वर्णित भूमि का आनन्दा की मृत्यु के बाद नामान्तकरण खोलते समय अंकन होने से रह गया है तथा वादी भी आनन्दा का पुत्र है ऐसी स्थिति में वादी को उक्त वर्णित आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिये यह वाद पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। राजस्व लोक अदालत कैम्प घाड़ मे प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। अतः पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

साक्ष्य शपथ पत्र वादी रामनारायण व सुवालाल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी घाड़ का पेश किया गया। वादी ने प्रदर्श करवाये। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2046–65, प्रदर्श–3 नकल नामान्तकरण संख्या 574, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल 2046–65, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संम्वत 2035–38 पेश किये है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। जिसमें सभी चरणो को स्वीकार करते हुए बताया कि वादवर्णित आराजीयात में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने मं हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद डिक्री कर दिया जावे इसमें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब पेश होने से तनकियात कायम न कर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 वादी रामनारायण पुत्र आनन्दा व सुवालाल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी घाड़ का पेश किया है। वादी ने प्रदर्श करवाये जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी 2069–72, प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2046–65, वाके ग्राम घाड़, प्रदर्श–3 नकल नामान्तकरण संख्या 574 ग्राम पंचायत घाड़, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संम्वत 2035–38, प्रदर्श–6 राजीनामा पेश किये है।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्यापान्त अवलोकन किया। वाद के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता आनन्दा की मृत्यु के बाद वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनकी माता भूरी के नाम खोल दिया जबकि वादी का नाम भी इनके साथ अंकित होना चाहिए था जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्सेनुसार काश्त कर रहे है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 में आनन्दा पुत्र गोपी के के नाम ख. नं. साबिक ख0नं0 1525/3 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 1526/1 रकबा 2 बीघा 19 बीसवा, ख0नं0 1341 रकबा 9 बीघा 8 बीस्वा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में उक्त साबिक ख. नं. से नये ख0नं0 1926 रक़बा 0.08 है0, ख0नं0 1927 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1928 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2293 रकबा 1.71 है0 कुल किता 4, कुल रकबा 2.29 है0 बनाये गये है। प्रदर्श–2 भू–प्रबन्ध विभाग की नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2046–65 में प्रभु, बद्री, घीस्या पि0 आनन्दा

भूरी बेवा आनन्दा जाति खटीक सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादी के अनुसार वह भी आनन्दा का पुत्र है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयार खतौनी जमाबन्दी में उसका नाम अंकित होने से रह गया जो साक्ष्यो से भी स्पष्ट है। अतः हाल ख. नं. ख0नं0 1417 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1418 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1419 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1810 रकबा 1.71 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.29 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील दूनी मे वादी को 1/4 हिस्से में वादी को वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 03.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली